Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

08.07.2026

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 उपस्थित।

आवेदक/सुपुर्ददार नरेन्द्र कुमार सहित अधिवक्ता श्री राजीव शुक्ला उपस्थित।

पत्रावली सुपुर्दगी आवेदन पर तर्क/केस डायरी मय प्रतिवेदन प्रस्तुति हेतु नियत है।

आरक्षी केंद्र थाना कुण्डम से अप0क0 210/2026 अंतर्गत धारा 497/503 बीएनएस की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

सुपुर्दगी आवेदन पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया।

इस आदेश द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगी आवेदन अन्तर्गत धारा 497/503 बी.एन.एस.एस. 2023 का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदन संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक/सुपुर्ददार का कार क्रमांक MP51 ZB 7707 को थाना कुण्डम पुलिस के द्वारा अप0क0 210/26 अंतर्गत धारा 281, 125(ए), 106(1) बीएनएस जप्त किया गया, वह उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी आवेदक/सुपुर्ददार है। कार के अधिक दिनों तक थाने में खुले स्थान में रखे रहने से उसमें तकनीकी खराबी आने की प्रबल संभावना है जिससे आवेदक को अत्याधिक आर्थिक व मानसिक क्षति कारित होगी। वाहन को सुपुर्दनामें पर प्राप्त करने के उपरांत उसके स्वरूप रंगरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा, प्रकरण के निराकरण तक अपनी सुपुर्दगी में रखेगा। आवेदक/सुपुर्ददार को उक्त जप्तशुदा वाहन सुपुर्दनामें पर प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा अधिरोपित आदेशों का अक्षरशः पालन करेगा तथा उक्त वाहन को स्वयं के व्यय पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अस्तु जप्तशुदा वाहन अंतरिम सुपुर्दगी में प्रदाय किए जाने का निवेदन किया गया।

आरक्षी केंद्र कुण्डम के थाना प्रभारी की ओर से प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार जप्तशुदा वाहन क्रमांक MP51 ZB 7707 अप0क0 210/2026 अंतर्गत धारा– 281, 125(ए), 106(1) बीएनएस में जप्त होना व्यक्त करते हुये सुपुर्दगी आवेदन पर अनापत्ति प्रकट की।

ए0डी0पी0ओ0 ने सुपुर्दगी आवेदन पर अनापत्ति व्यक्त किया।

केस डायरी का अवलोकन किया गया ।

केस डायरी के अवलोकन से ज्ञात है कि थाना कुण्डम के अप0क0 210/2026 अंतर्गत धारा 281, 125(ए), 106(1) बीएनएस के अंतर्गत कार क्रमांक MP51 ZB 7707 अभियुक्त आयुष भिरयानी से जप्त किया गया है।

GCPB—8—DCGCPB—8-4-25—5,00,000.

ORDER SHEET

THE COURT

Of 20

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	आवेदक द्वारा वाहन क्रय करने ऑन लाईन पैमेंट बिल पेश किया जिसके अवलोकन से आवेदक नरेन्द्र कुमार पिता अशोक कुमार, निवासी सरदार भगतसिंह वार्ड नं0 13 जिला मण्डला, उक्त जप्तशुदा वाहन का स्वामी होना प्रकट है। केस डायरी के साथ ऐसे कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है जिससे यह दर्शित हो कि आवेदक/सुपुर्ददार के अतिरिक्त अन्य कोई दावेदार हो। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त जप्तशुदा वाहन थाना परिसर में खुले वातावरण में रखा रहा तो निश्चित रूप से उसके मूल्य में कमी आयेगी जो कि एक राष्ट्रीय क्षति है। **इस संबंध में सुंदरभाई अम्बालाल देसाई विरूद्ध गुजरात राज्य ए0आई0आर0 2003 एस0सी0 638** में अवधारित किया गया है कि वाहन जप्त रहने तथा थाने में खुल में रखे रहने से वाहन की उपयोगिता प्रभावित होती है तथा क्षति की भी संभावना बनी रहती है, जो एक राष्ट्रीय क्षति भी है। अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र को स्वीकार करते हुए आदेशित किया जाता है, कि यदि आवेदक द्वारा जप्तशुदा वाहन हेतु **1,00,000/–रूपये (दस लाख रूपये)** का सुपुर्दनामा मय शपथ पत्र निम्न शर्तो के साथ कि :– **01.** आवेदक/सुर्पुदार वाहन को सुपुर्दगी में प्राप्त करने के बाद उसको कहीं भी प्रकरण के निराकरण या इस संबंध में अग्रिम आदेश होने तक विक्रय नही करेगा। **02.** आवेदक सुपुर्दगी में प्राप्त उक्त वाहन के स्वरूप में, एवं रंग में कोई परिवर्तन नही करेगा। **03.** न्यायालय द्वारा आदेशित किये जाने पर आवेदक उक्त वाहन एवं मूल दस्तावेज को स्वयं के व्यय पर नियत दिनांक को एवं आदेशित स्थान पर पेश करेगा, के साथ उपरोक्त आदेशानुसार सुपुर्दनामा आवेदक/सुर्पुददार के द्वारा पेश किया जाता है तो जप्तशुदा वाहन को आवेदक/सुर्पुददार को अंतरिम सुपुर्दगी पर दिया जावे।	

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	प्रकरण सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने हेतु कुछ देर बाद पेश हो। 08/07/26 **कीर्ति उइके** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर (म0प्र0) **पुनश्चः–** आदेशानुसार आवेदक नरेन्द्र कुमार पिता अशोक कुमार, निवासी सरदार भगतसिंह वार्ड नं0 13 जिला मण्डला, की ओर से **1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये)** का सुपुर्दगीनामा पेश किया गया। सुपुर्दगीदार की पहचान श्री राजीव शुक्ला.................... अधिवक्ता द्वारा की गई। सुपुर्ददार ने वाहन के क्रय करने संबंधी ऑनलाईन की स्वहस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत की, जिसे अभिलेख में संलग्न किया गया एवं सत्यापन उपरांत सुपुर्दगीनामा स्वीकार किये गये। जप्तशुदा राशि/संपत्ति/वाहन का सुपुर्दगी आदेश जारी किया जावे। उक्त जप्तशुदा वाहन कार क्रमांक MP51 ZB 7707 को अंतरिम सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश संबंधित थाना को भेजा जावें। आदेश में यह टीप अंकित की जाए कि वाहन सुपुर्दगी में दिए जाने के पूर्व जप्तशुदा वाहन के फोटोग्राफ्स एवं धारा– 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र लेकर, विस्तृत पंचनामा तैयार कर, प्राप्ति अभिस्वीकृति, सहित रिपोर्ट संबंधित न्यायालय में अविलंब प्रस्तुत करें। केस डायरी संबंधित थाने को वापस लौटाई जाए। पत्रावली अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण में संलग्न किया जावे। 08/07/26 **कीर्ति उइके** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर (म0प्र0)	मूल दस्तावेज व आदेश प्राप्त किया। Narendra

GCPB—8—DCGCPB—8-4-25—5,00,000.